सेवा में,

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः 6548 / नि0को0पें0ह0 / परिपत्र / 2021

दिनांकः 15 मार्च, 2021

विषयः— राजकीय कार्मिकों / पेंशनरों के विकलांग / विधवा / अविवाहित / तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति विषयक पेंशन प्रपत्रों का प्रेषण के संबंध में दिशानिर्देश।

कृपया अवगत कराना है कि इस निदेशालय में राजकीय कर्मचारियों / पेंशनरों की विकलांग संतानों / विधवा / अविवाहित / तलाकशुदा पुत्रियों को संगत शासनादेशों एवं नियमों के आलोक में पारिवारिक पेंशन स्वीकृति हेतु प्रकरण प्राप्त होते रहते हैं, जिनमें प्रपत्र अपूर्ण होने अथवा अन्य त्रुटियां परिलक्षित होने पर उक्त श्रेणी के पारिवारिक पेंशनरों को अनावश्यक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या सा–3–1513 / दस–97–2 / 81 (टी0सी0), शा0सं0 सा–3–984 / दस–98–308 / 97 दिनांक 24 जुलाई, 199 सपठित उत्तराखण्ड सेवानिवृति लाभ अधिनियम–2018 व अन्य संगत प्रावधानों के क्रम में विभिन्न श्रेणियों पारिवारिक पेंशनरों के प्रार्थना–पत्र निम्नलिखित अभिलेखों सहित इस निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु कराये जायें।

(अ) अविवाहित पुत्रियों के संबंध में:–

1) अविवाहित होने का शपथपत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित।
2) आय प्रमाण–पत्र।
3) पेंशन प्रपत्रों का प्रपत्र–1 (भाग 2, 3, 5)
4) परिवार पंजिका की प्रमाणित प्रति।
5) आधारकार्ड व पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति।
6) माता–पिता के मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
7) मूल पेंशनर के पेंशन भुगतानादेश की प्रमाणित प्रति।
8) परिवार के अन्य सदस्यों का फोटोयुक्त अनापत्ति हेतु शपथ पत्र।
9) परिवार पंजिका / उत्तरजीवी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति।
10) जन्म प्रमाण–पत्र / हाईस्कूल प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
11) बैंक खाते की प्रमाणित प्रति।

(ब) विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों के संबंध में:–

1) पति का मृत्यु प्रमाणपत्र / तलाकनामें / सक्षम न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति।
2) माता–पिता के परिवार के साथ रहने का शपथ पत्र।
3) आय प्रमाण–पत्र।
4) पेंशन प्रपत्रों का प्रपत्र–1 (भाग 2, 3, 5)
5) अन्य भाई–बहनों का फोटोयुक्त अनापत्ति विषयक शपथ–पत्र।
6) आधारकार्ड व पैन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति।
7) पेंशनर के मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
8) परिवार पंजिका / उत्तरजीवी प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
9) परिवार के अन्य सदस्यों का फोटोयुक्त अनापत्ति हेतु प्रमाण–पत्र।
10) जन्म प्रमाण–पत्र / हाईस्कूल प्रमाण–पत्र।
11) पुर्नविवाह न किये जाने का शपथ–पत्र।
12) बैंक खाते की प्रमाणित प्रति।

(स) विकलांग संतानों के संबंध में:–

1) विकलांगता प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति जिसमें इस आशय का स्पष्ट उल्लेख हो कि विकलांग अपने जीविकोपार्जन में असमर्थ है।
2) आयु प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
3) आधार कार्ड व पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति।
4) बैंक खाते की प्रमाणित प्रति।
5) उत्तरजीवी प्रमाण–पत्र / परिवार पंजिका की प्रमाणित छायाप्रति।
6) आय प्रमाण–पत्र।
7) परिवार के अन्य सदस्यों का फोटोयुक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
8) पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का मृत्यु प्रमाण–पत्र अथवा नामांकन हेतु शपथ–पत्र।
9) पेंशन प्रपत्रों का प्रपत्र–1, भाग–2 व प्रपत्र–5।
10) पुत्र–पुत्री की विकलांगता / मानसिक विक्षिप्तता के संबंध में नियमानुसार यथा आवश्यकता संरक्षक नियुक्त किये जाने के संबंध में सक्षम न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति।

(2) उक्तांकित समस्त अभिलेख संबंधित कार्यालयाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर इस निदेशालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
(3) विकलांग सन्तानों के संबंध में पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर अपने जीवनकाल में भी नामांकन हेतु यथा आवश्यकता आवेदन कर सकते हैं।
(4) उक्तांकित श्रेणियों के पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में उपरोक्त कार्यवाही के उपरांत निदेशालय स्तर से नामांकन विषयक नियमानुसार कार्यवाही हेतु उचित आदेश संबंधित कोषागार को जारी किये जायेंगे एवं संबंधित कोषागारों द्वारा इस संबंध में यथा आवश्यक अविलम्ब अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अतः उक्तांकित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि संदर्भित प्रकृति के प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही करते हुये सुनिश्चित कर लिया जायें कि ऐसे पारिवारिक पेंशनरों को अनावश्यक कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।

(पंकज तिवारी)
निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रतिलिपिः समस्त मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी।

(पंकज तिवारी)
निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी
उत्तराखण्ड, देहरादून